न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–480/17 ((RCMS No.2017/00511) 18 आयुध अधिनियम 1959)

रामदुल्ला उर्फ रामदुलारे पुत्र मुख्तयार सिंह जाति ठाकुर निवासी सिरौना थाना सरमथुरा हाल निवासी सरमथुरा जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक भरतपुर

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 20.01.2017

उपस्थितिः–

1. हनुमान प्रसाद गोयल वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण यदिनांकः 31.01.2017

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 20.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 28/77 दिनांक 31.12.14 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 08.12.15 को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के यहॉ प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध थाना हाजा में मु0 नं0 84/14 धारा 143, 304बी, 498ए, 120बी, 201 ता0हि0 दर्ज हुआ था तथा न्यायालय में चालान पेश हुआ। जिसमें अपीलान्ट को साक्ष्य के अभाव में दिनांक 27.10.15 को बरी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि अपीलान्ट के विरूद्ध मु0नं0 84/14 धारा 143, 304बी, 498ए, 120बी, 201 ता0हि0 दर्ज हुआ था जिसमें साक्ष्य के अभाव में अपीलान्ट को न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2015 को बरी किया गया है। अपीलान्ट ने शपथ पत्र में दर्ज अभियोग के तथ्यों को छिपाया है। शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुऐ कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु लोकहित में अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट के विरूद्ध थाना सरमथुरा में दहेज का झूॅठा मुकदमा लगाया था। जिसमें धारा 498ए, 201, 302 आईपीसी व 3/30 आर्म्स एक्ट के तहत चालान पेश किया। अपीलान्ट को गिरतार किया गया। अपीलान्ट दस माह तक जेल में रहा। राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर से जमानत हुई तथा न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश बाडी जिला धौलपुर ने अपीलान्ट कोदिनांक 27.10.15 को बरी कर दिया गया। अपीलान्ट ने जब्तशुदा आयुधको उसे सुपुर्द करने की दरख्वास्त दी जिस पर दिनांक 24.11.15 को आयुध सुपुर्द करने के आदेश दिये। अपीलान्ट ने दिनांक 08.12.15 को अनुज्ञापत्र रिन्यू करने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिस पर संबंधित लिपिक ने अपीलान्ट को शस्त्र जमा करवाने को कहा। अपीलान्ट ने थाना सरमथुरा में दिनांक 28.01.16 को शस्त्र जमा करा दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को धारा 17(3) आर्म्स एक्ट का नोटिस दिया जिसका जबाब अपीलान्ट ने पेशकर दिया। अपीलान्ट के विरूद्ध कोई संदिग्ध आचरण होने बाबत् थाना सरमथुरा व अन्य में दर्ज नही है। उनका तर्क है कि अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के समय कोई भी अभियोग अपीलान्ट के विरूद्ध पेन्डिग नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि अपीलान्ट के विरूद्ध थाना हाजा में अपीलान्ट के विरूद्ध मु0 नं0 84/14 धारा 143, 304बी, 498ए, 120बी, 201 ता0हि0 दर्ज हुआ था तथा न्यायालय में चालान पेश हुआ। जिसमें साक्ष्य के अभाव में दिनांक 27.10.15 को बरी किया गया। जिसमें साक्ष्य के अभाव में अपीलान्ट को न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2015 को बरी किया गया है। अपीलान्ट ने शपथ पत्र में दर्ज अभियोग के तथ्यों को छिपाया है। अपीलान्ट आपराधिक प्रवृति एवं संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुऐ कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया है, जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 28/77 दिनांक 31.12.14 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 08.12.15 को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के यहॉ प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध थाना हाजा में मु0 नं0 84/14 धारा 143, 304बी, 498ए, 120बी, 201 ता0हि0 दर्ज हुआ था तथा न्यायालय में चालान पेश हुआ। जिसमें अपीलान्ट को साक्ष्य के अभाव में दिनांक 27.10.15 को बरी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि अपीलान्ट ने शपथ पत्र में दर्ज अभियोग के तथ्यों को छिपाया है। शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुऐ कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु लोकहित में अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह सही है कि अपीलान्ट के विरूद्धमु0 नं0 84/14 धारा 143, 304बी, 498ए, 120बी, 201 ता0हि0 दर्ज हुआ था किन्तु उसका निर्णय दिनांक 27.10.2015 को हो चुका है और अपीलान्ट को बरी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के विरूद्ध पत्रावली पर ऐसा कोई प्रकरण लम्बित नही है जिससे लोकशान्ति व लोकहित की सुरक्षा को खतरा हो। केवल क्रिमिनल प्रकरण दर्ज होना अनुज्ञापत्र को निरस्त करने का आधार नही है। इसके अलावा अपीलान्ट उक्त प्रकरण में बरी भी हो चुका है। पत्रावली पर ऐसा भी कोई साक्ष्य नही है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्ट ने अपने शस्त्र के दुरूपयोग करने की कोशिश की हो या पहले कभी की हो। सिर्फ कयास के आधार पर अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया जाना उचित नही है।अपीलान्ट ने निर्णय की प्रति पेश कर दी है उस पर विचार कर नियमानुसार अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही कहा जा सकता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.01.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.03.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 31.01.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official